न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ (जिला अनूपगढ़)

पीठासीन अधिकारी :—अजीत कुमार गोदारा, आरएएस

प्रकरण सं. :— 03/2023

जी.सी.एम.एस. नं. 2023/59

सोनिका बिश्नोई पत्नी बुधराम बिश्नोई उम्र 44 वर्ष जाति बिश्नोई निवासी 25 एल.जी डब्ल्यू–बी सरदारपुरा बीका, तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर।

..............**प्रार्थीया**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

..............**अप्रार्थी**

प्रार्थना –पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 17.05.2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थीया की कृषि भूमि वाके चक 2 एन डी ए तहसील मुरब्बा नं0 19 पत्थर सं. 259/473 का किला नम्बर 12 ता 25 की कुल के अनूपगढ़ 3.5420 हैक्टर का 1/3 का 1/2 हिस्सा प्रार्थीया के नाम सोनिका देवी पत्नी बुधराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो प्रार्थीया को जरिये दान दिनांक 25.08.2021 को नामान्तरण संख्या 198 पर स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है जमाबन्दी की फोटो प्रति सलंगन प्रार्थना पत्र है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीया ने खातेदार कृषक अपने पति बुधराम पुत्र ठाकर राम जाति बिश्नोई साकिन 25 एल जी डब्ल्यु बी सरदारपुरा बीका, तहसील सुरतगढ़ से सन् 2021 में जरिये दान ली थी जो निरन्तर प्रार्थीया के अधिकार एंव अधिपत्य में चली आ रही है जिसकी प्रार्थीया खातेदार कृषक है एंव एक मात्र मालिक है। प्रार्थीया के पुराने रिकार्ड में सोनिका देवी पत्नी बुधराम जाति बिश्नोई नाम दर्ज है प्रार्थीया का अपने नाम में कानूनी अड़चन होने के कारण प्रार्थीया ने अपना नाम सोनिका देवी से सोनिका बिश्नोई करवाने के लिए दिनांक 29.01.2022 को एक [illegible] रूपये के स्टाम्प पर तहरीर लिखकर जरिये नोटेरी तस्दीक [illegible] 2022 को दैनिक भास्कर अखबार के श्रीगंगानगर के पृष्ठ संख्या [illegible] आम विज्ञप्ति छपवाई व टाईस ऑफ इण्डिया के अखबार में दिनांक [illegible].01.2022 को अपने व अपने पति बुधराम के नामों के आगे बिश्नोई लिखवाकर विज्ञप्ति छपवाई थी। उसके बाद प्रार्थीया के नाम के आगे सोनिका देवी के स्थान पर सोनिका बिश्नोई लिखा जाने लगा। अब प्रार्थीया के नाम के आगे समस्त कागजातों में सोनिका बिश्नोई नाम दर्ज है। अब प्रार्थीया अपना नाम अपनी कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajeet Kumar Godara
Date: 2024.06.14 11:07:55 IST
Reason: SelfAttested

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी

सोनिका बिश्नोई दर्ज करवाना चाहती है। अखबार के साया की फोटो प्रति, ई–आधार की फोटो प्रति, आधार कार्ड की फोटो प्रति व स्टाम्प की फोटो प्रति सलंग्न प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थीया का रिकार्ड में नाम सोनिका बिश्नोई पत्नी बुधराम बिश्नोई दर्ज है यहां यह दर्ज करना उचित होगा कि प्रार्थीया के ई–आधार कार्ड, आधार कार्ड व बच्चों के समस्त कागजात जिन पर समस्त दस्तावेज में प्रार्थीया नाम सोनिका बिश्नोई पत्नी बुधराम बिश्नोई ही दर्ज है जो सलंगन प्रार्थना पत्र है लेकिन प्रार्थीया की उपरोक्त कृषि भूमि को अपने नाम करवाते समय प्रार्थीया का नाम सोनिका देवी था इसलिए प्रार्थीया की उपरोक्त कृषि भूमि में सोनिका देवी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। उसके बाद प्रार्थीया ने अपना नाम बदल कर सोनिका देवी के स्थान पर सोनिका बिश्नोई रख लिया। इसलिए अब प्रार्थीया उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सोनिका देवी के स्थान पर सोनिका बिश्नोई दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थीया जो कि ग्रामिण परिवेश की साक्षर काश्तकार पेशा औरत है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम सोनिका देवी पत्नी बुधराम के नाम से दर्ज है जो की प्रार्थीया की ओर से एक सदभाविक एंव मानवीय भुल है प्रार्थीया के राजस्व रिकार्ड एंव अन्य दस्तावेजात में नाम अलग–अलग होने के कारण प्रार्थीया को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि उसके सोनिका देवी के नाम से दर्ज है। लेकिन अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेजात निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र, आधार कार्ड, व अन्य दस्तावेजात में प्रार्थीया का नाम सोनिका बिश्नोई दर्ज है। जिससे प्रार्थीया भविष्य में उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में बैंक इत्यादि से लोन आदि लेने में प्रार्थीया को काफी दिक्कत एंव परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए भी न्यायाहित में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व इन्तकाल में दर्ज हुए गलत नाम को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीया का नाम सोनिका बिश्नोई पत्नी बुधराम बिश्नोई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी व इन्तकाल) में दर्ज प्रार्थीया का नाम सोनिका देवी पत्नी बुधराम को दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर प्रार्थीया का नाम सोनिका बिश्नोई पत्नी बुधराम बिश्नोई दर्ज किया जाने के आदेश प्रदान करें। जनाब की कृपा होगी।

उभय पक्षकारण की बहस सुनी गई पत्रावली [illegible] गये एवं संलग्न दस्तावेजात का गहनता से मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया का नाम सोनिका बिश्नोई पत्नी बुधराम बिश्नोई है। तहसीलदार अनूपगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी चक 2 एनडी–ए का मु.नं. 259/473 का 3.542 हैक्टर भूमि में से सोनिका देवी पत्नी बुधराम जाति बिश्नोई के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है व केनरा बैंक शाखा धान मण्डी अनूपगढ़ के नाम दर्ज है। उक्त रकबा प्रार्थीया को बुधराम पुत्र ठाकरराम से जरिये

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलेक्टर
जिला अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajeet Kumar Godara
Date: 2024.06.14 11:07:55 IST
Reason: SelfAttested

दान पत्र नापमान्तकरण सं. 198 दिनांक 29.07.2020 द्वारा प्राप्त हुआ। वर्तमान जमाबंदी में नाम सोनिका देवी पत्नी बुधराम जाति बिश्नोई दर्ज है जिसे प्रार्थीया ने स्वैच्छा से अपना नाम सोनिका बिश्नोई व पति का नाम बुधराम बिश्नोई रखा है जिनका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाना चाहते हैं। सोनिका बिश्नोई व बुधराम बिश्नोई के शपथ पत्र की चित्रप्रति व नाम परिवर्तन संबंधी घोषणा समाचार पत्र दैनिक भास्कर के पृष्ठ श्रीगंगानगर दिनांक 30.01.2022 में प्रकाशित है जिसकी प्रति संलग्न है। अतः मुताबिक तहसीलदार अनूपगढ़ रिपोर्ट, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात आदि के आधर पर प्रार्थीया का नाम सोनिका देवी पत्नी बुधराम जाति बिश्नोई के स्थान पर सोनिका बिश्नोई पत्नी बुधराम बिश्नोई जाति बिश्नोई को न्यायहित में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— :: आदेश :: —

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता **है** कि **चक 2 एनडी–ए का मु.नं. 19 प.नं. 259/473 का 3.542 हैक्टर** कृषि भूमी के राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) में प्रार्थीया का नाम सोनिका देवी पत्नी बुधराम के स्थान पर **सोनिका बिश्नोई पत्नी बुधराम बिश्नोई जाति बिश्नोई** दुरूस्त किया जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ को उक्त आदेश को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर पृथक से जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक **17.05.2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलेक्टर
जिला अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Ajeet Kumar Godara
Date: 2024.06.14 11:07:55 IST
Reason: SelfAttested